8. Jharodakalan
9. Golc Market
10. 3 KVs of Jammu (K.V. No. 1,2 & 3 (Damanna)
11. Kankarbagh, Patna
12. Muzaffarpur
13. AGCR Colony, New Delhi
14. NOIDA
15. Bhopal
16. Bairagarh
17. No. 1,2 & 3 Colaba, Bombay
18. Gomatinagar, Lucknow

Total = 22 Kendriya Vidyalayas.

Report of the Committee appointed to look into the poor performance of Government Schools

2884. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Questin 941 given in the Rajya Sabha on 17the July, 1992 and state:

(a) whether the Committee appointed by the Delhi Adminstration to analyse the poor performance of Government schools has since submitted its report;

(b) if so, what are its salient features and recommendations of the committee; and

(c) what followe-up action has been taken or proposed to be taken to improve the performance of the Government schools in Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आंगनवाड़ियों का कार्यकरण

2885. **श्री राम नरेश यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितनी आंगनवाड़ियां हैं, इनमें कार्यरत सेविकाओं को कितना वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या उक्त वेतनमान को संशोधित किये जाने की संभावना है; और

(ग) आंगनवाड़ियों के कार्यकरण को और चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही आंगनवाड़ियों की संख्या क्रमशः 3042 और 2575 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायिकाएं जो कि स्वयंसेवी कार्यकर्त्ता हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में निम्नलिखित दरों पर मानदेय प्राप्त करने की हकदार हैं:—

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता

1. नॉन मैट्रिकुलेट	350 रु० प्रति मास
2. नॉन मैट्रिकुलेट जिन्होंने 5 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	375 रु० प्रति मास
3. नॉन मैट्रिकुलेट जिन्होंने 10 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	400 रु० प्रति मास
4. मैट्रिकुलेट	400 रु० प्रति मास
5. मैट्रिकुलेट जिन्होंने 5 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	425 रु० प्रति मास
6. मैट्रिकुलेट जिन्होंने 10 वर्ष तक अवैतनिक कार्य किया हो	450 रु० प्रति मास
सहायिकाएं	200 रु० प्रति मास

(ख) मानदेय की दरों में हाल में किए गए संशोधन के पश्चात् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं की मानदेय दरें 2 अक्तूबर, 1992 से उपरोक्तानुसार प्रभावी हैं।

(ग) आई सी डी एस के विभिन्न घटकों अर्थात् पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा और कार्यकत्ताओं के प्रशिक्षण के प्रबोधन के लिए विभाग में एक कम्प्यूटरीकृत एम आई एस कार्य कर रहा है। आई सी डी एस के केन्द्रीय तकनीकी समिति लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के स्वास्थ्य और पोषाहारीय दर्जे का प्रबोधन करती है। इसमें जो भी